सर्व शिक्षा अभियान

सब पढ़ें सब बढ़ें

राज्य परियोजना कार्यालय,

उ0प्र0 सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद, विद्या भवन, निशातगंज, लखनऊ -226 007

प्रेषक,

राज्य परियोजना निदेशक,
सर्व शिक्षा अभियान, उ0प्र0,
लखनऊ।

सेवा में,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
जनपद– बदायूं, बागपत, बहराइच, बलरामपुर, बाराबंकी, बरेली, बिजनौर, बुलन्दशहर, गाजियाबाद, जे0पी0 नगर लखीमपुर खीरी लखनऊ, मेरठ, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, पीलीभीत, रामपुर, सहारनपुर,सन्तकबीरनगर शाहजहांपुर सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती।

पत्रांक: वै0शि0/कौ0वि0कार्य0 / 1539 /2011–12 दिनांक: 11 जुलाई 2011

विषय:– <u>नवाचारी शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत अल्पसंख्यक बच्चों के लिये कौशल विकास कार्यक्रम</u>

महोदय/महोदया,

ज्ञातव्य है कि विगत तीन वर्षो से नवाचारी शिक्षा कार्यकम के अन्तर्गत उपरोक्त अल्पसंख्यक बाहुल्य जनपदों में उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कौशल विकास कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। कार्यकम का मुख्य उद्देश्य बच्चों को व्यवसायपरक शिक्षा से जोड़ते हुए स्वावलम्बी बनाना है।

सर्व शिक्षा अभियान की वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट वर्ष 2011–12 में भारत सरकार द्वारा 22 अल्पसंख्यक बाहुल्य जनपदों में बच्चों के कौशल विकास हेतु नवाचारी कार्यक्रम संचालित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी हैं। इस हेतु भारत सरकार द्वारा प्रत्येक जनपद के लिए 10–10 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में प्रति विद्यालय रू0 40,000/– की दर से रू0 4.00 लाख का वित्तीय प्राविधान स्वीकृत किया गया है जिसे जिला परियोजना कार्यालय मे बैंक के माध्यम से अंतरित किया जा रहा है। **(परिशिष्ट – क)**

कौशल विकास कार्यक्रम के संचालन हेतु निर्देश निम्नवत् है–

- सर्व प्रथम जनपदों द्वारा ऐसे 10 उच्च प्राथमिक विद्यालयों का चयन किया जायेगा जिसमें अल्पसंख्यक बच्चों की संख्या अधिक हो तथा आवश्यक अवस्थापना सुविधायें उपलब्ध हों।
- बच्चों की रूचि के अनुसार विद्यालयों मे ट्रेड का चयन किया जाये। यदि किसी विद्यालय में विगत तीन वर्षो से निरन्तर यह कार्यकम संचालित किया जा रहा है तो चकानुकम (रोटेशन) में अन्य विद्यालयों का भी चयन कर कार्यकम संचालित किया जाये जिससे अन्य विद्यालयों के बच्चे भी इस कार्यकम से लाभान्वित हो सकें किन्तु विद्यालयों की संख्या 10 से अधिक न हो।

- कौशल विकास कार्यकम के अन्तर्गत छात्र छात्राओं हेतु कम्प्यूटर ट्रेड का चयन किया जाय किन्तु इस हेतु उन्हीं विद्यालयों का चयन किया जाये जहां कम्प्यूटर सिस्टम पहले से ही स्थापित हैं तथा विद्यालय में बिजली आदि की समुचित व्यवस्था है।
- इस कार्यक्रम के लिये एन0पी0ई0जी0ई0एल0 से आच्छादित मॉडल क्लस्टर के उच्च प्राथमिक विद्यालयों को चयनित न किया जाये क्योंकि इन विद्यालयों में पूर्व से ही व्यावसायिक शिक्षा का कार्यक्रम उक्त योजना के अन्तर्गत संचालित किया जा रहा है।
- यथा सम्भव विद्यालय के समस्त बच्चों को इस कार्यकम में सम्मिलित किया जाये।
- यह कार्यकम 06 माह की अवधि का है अत: माह सितम्बर 2011 से फरवरी 2012 तक की अवधि में कार्यकम संचालित किया जायेगा। इस हेतु कार्यकम की सम्पूर्ण तैयारी करते हुए ऐसी समय सारणी बनायी जाय जिससे प्रत्येक दशा मे 01 सितम्बर 2011 से कार्यकम संचालित हो जाय।
- स्थानीय आवश्यकता एवं बच्चों की अभिरूचि के आधार पर 01या 01 से अधिक ट्रेड का चयन किया जाये। ट्रेड का चयन/अनुमोदन जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा किया जायेगा। जो निम्नवत् है–

जनपद स्तरीय समिति

जिलाधिकारी	अध्यक्ष
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी	सदस्य– सचिव
जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी	सदस्य
जिला समाज कल्याण अधिकारी	सदस्य
महाप्रबन्धक, जिला उद्योग अनुसंधान केन्द्र	सदस्य
सहायक वित्त एवं लेखाधिकारी,सर्व शिक्षा अभियान	सदस्य
जिला समन्वयक (वैकल्पिक शिक्षा)	सदस्य

कार्यदायी संस्था

- कौशल विकास कार्यक्रम हेतु निम्नलिखित विभागों /संस्थाओं में से कार्यदायी संस्था का चयन उपरोक्त समिति द्वारा किया जायेगा।
  1. नेहरू युवा केन्द्र संगठन
  2. आई0टी0आई0 तथा पॉलीटेक्निक
  3. जन शिक्षण संस्थान
  4. यदि उक्त संस्थाओं द्वारा किसी कारणवश कार्यक्रम संचालन हेतु असमर्थता दर्शायी जाये तो उक्त के अतिरिक्त चयनित ट्रेड में विशेषज्ञता रखने वाली संस्था यथा खादी ग्रामोद्योग विकास, फल संरक्षण विभाग तथा ऐसे सरकारी मान्य विभाग जो कि कौशल विकास कार्यक्रम संचालित करने हेतु अधिकृत हो, द्वारा कार्यक्रम संचालन की संभावनायें ज्ञात कर जिलाधिकारी के अनुमोदनोपरान्त संस्था का चयन किया जाये।
  5. **सम्बन्धित ग्राम शिक्षा समिति/वार्ड शिक्षा समिति**

यदि कार्यदायी संस्था के रूप में ग्राम शिक्षा समिति/वार्ड शिक्षा समिति का चयन किया जाता है तो ट्रेड के चयन, प्रशिक्षण पाठ्यकम, प्रशिक्षक चयन, आदि प्रकिया के निर्धारण हेतु निम्नवत् 05 सदस्यीय उप समिति का गठन किया जायेगा।

1.	जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी	अध्यक्ष
2.	सहायक वित्त एवं लेखाधिकारी, सर्व शिक्षा अभियान	सदस्य
3.	जिला समन्वयक, वैकल्पिक शिक्षा	सदस्य सचिव
4.	ए0बी0आर0सी0 (उस ब्लॉक का जहां कौशल विकास कार्यक्रम हेतु उच्च प्राथमिक विद्यालय का चयन किया गया।)	सदस्य
5.	एन0पी0आर0सी0 समन्वयक (उस न्याय पंचायत का जहां कौशल विकास कार्यक्रम हेतु उच्च प्राथमिक विद्यालय का चयन किया गया।)	सदस्य

उपर्युक्त समिति कार्यक्रम के संचालन की रणनीति तय करेगी तथा ट्रेड के प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षक चयन, कच्चे माल की उपलब्धता, पाठ्यक्रम का निर्धारण एवं संचालन सम्बन्धी अन्य व्यवस्थायें ग्राम शिक्षा समिति/वार्ड शिक्षा समिति के माध्यम से सुनिश्चित करेगी। ग्राम शिक्षा समिति/वार्ड शिक्षा समिति द्वारा चयन का अनुमोदन जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा लिया जायेगा।

कार्यक्रम संचालन की प्रक्रिया

- सर्वप्रथम प्रधानाध्यापक बच्चों एवं अभिभावकों से सम्पर्क कर उनकी अभिरूचि की जानकारी प्राप्त करेगें तथा सर्वाधिक रूचि वाले ट्रेड का प्रस्ताव जिला समन्वयक (वै0शि0) को उपलब्ध करायेगें। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ट्रेड चयन हेतु जिला स्तरीय चयन समिति के समक्ष प्रस्ताव प्रस्तुत करेगें।
- ट्रेड चयन के सम्बन्ध मे यह भी ध्यान रखा जाय कि विगत वर्षो मे संचालित ट्रेड के अतिरिक्त भी ऐसे नये ट्रेड चयनित किये जाये जिनका बच्चे भविष्य मे उपयोग कर सके।
- कार्यदायी संस्थाओं से प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु निम्न बिन्दुओ पर प्रस्ताव प्राप्त किये जायें।
  - ❖ संस्था का नाम एवं पूरा पता।
  - ❖ संस्था की संवैधानिक एवं अनुभव सम्बन्धी पृष्ठभूमि।
  - ❖ संस्था के पास उपलब्ध भौतिक एवं मानवीय संसाधन।
  - ❖ प्रशिक्षण की अवधि एवं उसका दैनिक, साप्ताहिक एवं मासिक विभाजन।
  - ❖ प्रस्तावित ट्रेड का पाठ्यक्रम, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन व्यवस्था।
  - ❖ मदवार लागत एवं कुल बजट
  - ❖ प्रशिक्षण की अवधि न्यूनतम 06 माह होगी, सुनिश्चित कर लिया जाये।
  - ❖ प्रस्ताव सम्बन्धी अन्य बिन्दु स्थानीय आवश्यकता के अनुसार जोड़े जा सकते है।
- कार्यदायी संस्था/ग्राम/वार्ड शिक्षा समिति से प्राप्त प्रस्तावों का विश्लेषण कर संस्था के चयन हेतु पत्रावली जिला स्तरीय समिति के समक्ष प्रस्तुत की जाय।
- जिला स्तरीय समिति से चयनित संस्था को कार्यादेश एवं स्वीकृत बजट की 90 प्रतिशत धनराशि अवमुक्त कर कार्यक्रम संचालित कराया जाय।
- बजट में प्रति विद्यालय रूपये 40,000/– का व्यय अनुमन्य है अतः जिला समिति के समक्ष प्रशिक्षक का मानदेय, कच्चे माल की व्यवस्था व अन्य व्यय हेतु उक्त धनराशि का ट्रेड की आवश्यकता के अनुसार अनुमोदन प्राप्त किया जाये।

भुगतान की प्रक्रिया

- जिला स्तरीय समिति द्वारा चयनित कार्यदायी संस्था को कार्यक्रम संचालन हेतु निम्नवत धनराशि का भुगतान किया जाय ।

किस्त	कुल बजट का %	कार्य
प्रथम किस्त	90%	चयनित कार्यदायी संस्था को कार्य आदेश के साथ।
द्वितीय किश्त	10%	कार्यक्रम की समस्त गतिविधियां पूर्ण होने, अद्यतन निर्गत धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र तथा अन्तिम रिपोर्ट प्रस्तुत किये जाने पर

कार्यक्रम का अनुश्रवण, मूल्यांकन एवं अभिलेखीकरण

- जिस उच्च प्राथमिक विद्यालय मे कौशल विकास कार्यक्रम संचालित किया जायेगा उसकी समय सारणी मे ऐसे कालांशों का अंकन कक्षावार अवश्य किया जाय जिससे अन्य विषयो के साथ बच्चे चयनित ट्रेड का लाभ उठा सकें।
- ट्रेड से सम्बन्धित पाठ्यक्रम, सप्ताह में प्रशिक्षण दिये जाने वाले दिनों की संख्या, ट्रेड संचालन की कुल अवधि एवं पाठ्यक्रम के माहवार विभाजन की सूचना सम्बन्धित विद्यालय के प्रधानाध्यापक के पास, ब्लॉक स्तर एवं जनपद स्तर पर उपलब्ध रहे ताकि अधिकारियों को निरीक्षण के समय उपलब्ध करायी जा सके।
- कार्यक्रम का प्रत्येक माह अनुश्रवण सम्बन्धित ए0बी0एस0ए0/ नगर शिक्षा अधिकारी, एवं डायट मेण्टर द्वारा किया जायेगा।
- जिला समन्वयक (वैकल्पिक शिक्षा) द्वारा प्रत्येक विद्यालय का माह में न्यूनतम एक बार अवश्य निरीक्षण किया जाय एवं निरीक्षण आख्या राज्य परियोजना कार्यालय को प्रेषित की जाय। **(प्रारूप संलग्नक 1)**
- प्रधानाध्यापक की देखरेख में सम्बन्धित ट्रेड में बच्चों के सीखने की प्रगति का सतत् मूल्याकंन कराया जाय तथा उसका अभिलेखीकरण किया जाय।
- जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रत्येक माह कार्यदायी संस्था के साथ बैठक कर कार्यक्रम की समीक्षा करेंगे एवं प्रत्येक दूसरे माह पर कार्यक्रम की प्रगति से जनपद स्तरीय समिति को अवगत करायेंगे तथा समय–समय पर विद्यालयों का निरीक्षण करेंगे।
- कार्यक्रम की प्रगति आख्या प्रत्येक माह राज्य परियोजना कार्यालय एवं साक्षरता निदेशालय को प्रेषित की जाय। **(प्रारूप संलग्नक 2)**
- प्रशिक्षणोपरान्त बच्चों को कार्यदायी संस्था द्वारा प्रधानाध्यापक, जिला समन्वयक वै0शि0 संस्था संचालक एवं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षर से दक्षता प्रमाण पत्र दिया जाय। प्रमाण पत्र का प्रारूप संलग्न है। **(प्रारूप संलग्नक 3)**
- प्रशिक्षण कार्यक्रम का सम्पूर्ण अभिलेखीकरण फोटोग्राफ सहित कार्यदायी संस्था /ग्राम शिक्षा समिति द्वारा कार्यक्रम समाप्ति के तत्काल बाद जनपद स्तर पर एवं राज्य परियोजना कार्यालय को उपलब्ध कराया जायेगा।

कार्यक्रम की समय सारिणी

क्रम	कार्य	निर्धारित तिथि
1	विद्यालय का चयन	20 जुलाई 2011
2	संस्थाओं से ट्रेड प्रस्ताव प्राप्त करना	30 जुलाई 2011
3	प्राप्त प्रस्तावो पर जिला स्तरीय समिति की बैठक में चर्चा	05 अगस्त 2011
4	जिला स्तरीय समिति का अनुमोदन	16 अगस्त 2011 तक
5	कार्यआवंटन	20 अगस्त 2011 तक
6	कार्यक्रम संचालन अवधि (अनिवार्यतः)	01 सितम्बर 2011 से फरवरी 2012 तक

- **उक्त निर्देश की प्रति सम्बन्धित बी0आर0सी0 एवं चयनित उच्च प्राथमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों को अनिवार्यतः उपलब्ध कराई जाये जिससे दिये गये निर्देशों से जानकारी प्राप्त कर कार्यक्रम का सफल संचालन कर सकें।**

कृपया, उपरोक्तानुसार उच्च प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों के कौशल विकास कार्यक्रम के संचालन हेतु आवश्यक कार्यवाही समय से पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। बजट आबंटन की जनपदवार सूची संलग्न है।

संलग्नक–उक्तवत्।

भवदीय,

(के0राम मोहन राव)
राज्य परियोजना निदेशक

पृ0सं0: बै0शि0 / कौशल विकास कार्यक्रम / 1539 / 2011–12 तद्दिनांक
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष, जिला शिक्षा परियोजना समिति, समस्त जनपद।
2. निदेशक, साक्षरता, वैकल्पिक शिक्षा, उर्दू एवं प्राच्य भाषाएं, उ0प्र0, लखनऊ।
3. निदेशक, नेहरू युवा केन्द्र संगठन, उ0प्र0।
4. निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवा नियोजन, उ0प्र0।
5. निदेशक, तकनीकी शिक्षा, उ0प्र0।
6. प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान,समस्त जनपद उ0प्र0।
7. मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), समस्त जनपद, उ0प्र0।
8. जिला समन्वयक (वैकल्पिक शिक्षा), समस्त जनपद, उ0प्र0।

11.7.11
(दिनेश बाबू शर्मा)
अपर परियोजना निदेशक

परिशिष्ट–क

नवाचारी शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत अल्पसंख्यक बच्चों के लिये कौशल विकास कार्यक्रम हेतु जनपदवार प्रेषित की जाने वाली धनराशि (2011–12)

(रूपये लाख में)

क्र0 सं0	जनपद का नाम	जनपदों को प्रेषित की जाने वाली धनराशि का विवरण
1.	बदायूं	4.00
2.	बागपत	4.00
3.	बहराइच	4.00
4.	बरेली	4.00
5.	बलरामपुर	4.00
6.	बाराबंकी	4.00
7.	बिजनौर	4.00
8.	बुलन्दशहर	4.00
9.	गाजियाबाद	4.00
10.	जे0पी0 नगर	4.00
11.	लखीमपुर	4.00
12.	लखनऊ	4.00
13.	मेरठ	4.00
14.	मुरादाबाद	4.00
15.	मुजफ्फरनगर	4.00
16.	पीलीभीत	4.00
17.	रामपुर	4.00
18.	सहारनपुर	4.00
19.	सन्तकबीरनगर	4.00
20.	शाहजहांपुर	4.00
21	सिद्धार्थनगर	4.00
22.	श्रावस्ती	4.00
योग		88.00

सर्व शिक्षा अभियान के अर्न्तगत संचालित कौशल विकास कार्यक्रम का अनुश्रवण प्रपत्र

निरीक्षण की तिथि		निरीक्षण का समय	

कार्यदायी संस्था का नाम पता	

चयनित उच्च प्राथमिक विद्यालय का नाम	

कार्यक्रम पूर्व से संचालित है अथवा नवीन	

उच्च प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक का नाम मोबाइल नम्बर/फोन नम्बर	

न्याय पंचायत/वार्ड		विकासखण्ड/जोन	

संचालक संस्था को धन अवमुक्त किये जाने की स्थिति	

प्रशिक्षण का पाठ्यक्रम एवं समय सारिणी प्रदर्शन की स्थिति	

बच्चों की उपस्थिति

कक्षा	विद्यालय में कुल नामांकित बच्चों की संख्या		कौशल विकास कार्यक्रम हेतु चयनित बच्चों की संख्या		चयनित बच्चों की उपस्थिति		चयनित बच्चों में अल्पसंख्यक बच्चों की संख्या		चयनित बच्चों में अल्पसंख्यक बच्चों की उपस्थिति	
	बालक	बालिका	बालक	बालिका	बालक	बालिका	बालक	बालिका	बालक	बालिका
6										
7										
8										
योग										

अनुदेशक का विवरण ट्रेड वार

अनुदेशक का नाम	उपस्थिति (हां / नही)	अनुदेशक द्वारा ट्रेड सम्बन्धी शिक्षण						[illegible]	[illegible]
		सप्ताह में प्रशिक्षण दिये जाने वाले दिनों की संख्या	दैनिक प्रशिक्षण अवधि	ट्रेड से सम्बन्धित पाठ्यक्रम विभाजन (साप्ताहिक / मासिक विभाजन) के अनुसार शिक्षण (हां / नहीं)	सैद्धान्तिक शिक्षण (हां / नहीं)	प्रयोगात्मक शिक्षण (हां / नहीं)	मूल्यांकन किये जाने की स्थिति (हां / नहीं)		

- अनुपस्थिति की स्थिति में कारण

ट्रेड वार बच्चों की सम्प्राप्ति का स्तर

क्र सं	ट्रेड का नाम	ट्रेड से सम्बन्धित प्रशिक्षण की कुल अवधि -		बच्चों को प्रशिक्षण सामग्री उपलब्धता (हां / नहीं)	बच्चों द्वारा प्रयोग की स्थिति	निरीक्षण अवधि तक सीखने के लक्ष्य	उपलब्धि	अपेक्षित उपलब्धि न होने की दशा में अनुदेशक द्वारा किये गये प्रयास।
		कब से	कब तक					
1								
2								

सामग्री उपलब्धता की स्थिति

क्र.सं	उपलब्ध प्रशिक्षण सामग्री की सूची	वर्ष 2010– 11 की अवशेष सामग्री	2011–12 में नवीन क्रय की गयी सामग्री	प्रयोग की स्थिति
1				
2.				
3.				
4				

नोट: सामग्री की सूची संलग्न करें अथवा गत पृष्ट पर अंकित करें।

निरीक्षण की स्थिति

गत माह तक कुल निरीक्षण	वर्तमान माह में निरीक्षण की संख्या								
	NPRC	BRC	ABSA/NSA	MENTOR	D.C	Dy BSA	BSA	[illegible]	[illegible]

निरीक्षण कर्ता द्वारा कार्यक्रम सम्बन्धी फोटोग्राफ संलग्न किये जाये।

दिनांक निरीक्षणकर्ता के हस्ताक्षर नाम एवं पद

संलग्नक - 2

अल्पसंख्यक बाहुल्य जनपदों में कौशल विकास कार्यक्रम हेतु मासिक सूचना प्रपत्र

जनपद का नाम

सूचना तिथि

क्रम	नवीन चयनित विद्यालय का नाम, विकास खण्ड	सम्बन्धित प्रधानाध्यापक का नाम एवं मो0 न0	कक्षा	प्रशिक्षक का नाम एवं मो0 न0	चयनित बच्चों की संख्या			चयनित संस्था का नाम एवं पता	चयनित ट्रेड का नाम	ट्रेड की अवधि		ट्रेड का बजट	अवमुक्त धनराशि का विवरण	प्राप्त उपभोग का विवरण
					अल्पसंख्यक	अन्य	कुल			प्रशिक्षण आरम्भ होने की तिथि	किस तिथि तक संचालित रहेगा			
1			6											
			7											
			8											
2			6											
			7											
			8											
3			6											
			7											
			8											
4			6											
			7											
			8											
5			6											
			7											
			8											
	योग													

हस्ताक्षर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी

संलग्नक - 3

सर्व शिक्षा अभियान, उत्तर प्रदेश के अन्तर्गत संचालित

कौशल विकास कार्यक्रम

2011–12

सर्व शिक्षा अभियान

सब पढ़ें सब बढ़ें

प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री0/कु0 .... पुत्र/पुत्री.................................... .... ने सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत उच्च प्राथमिक विद्यालय ....में संचालित कौशल विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत .... ट्रेड/ट्रेडों में सफलतापूर्वक .... माह से ....माह तक का प्रशिक्षण प्राप्त किया है।

प्रधानाध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय	जिला समन्वयक (वैकल्पिक शिक्षा)	संचालक संस्था नाम व मुहर	जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जनपद